भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015, फोन: 25419177, 25412977 ई–मेल: sbi.05169@sbi.co.in

कब्जा सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है)** को **निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था** जिसमें उल्लेखित **राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है** उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार(रों) उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

यह नोटिस बैंक के ऐसे अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि वह कानून के किसी अन्य लागू प्रावधान के तहत आवश्यक समझता है।

क्र. सं.	खाते/कर्जदार /गारंटर का नाम एवं पता	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि
1	**उधारकर्ता– मैसर्स अनव (ANAV) एंटरप्रेन्योर**, एसडी–465, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002। इसके अलावा: ई–50, बुलंदशहर रोड, औद्योगिक रोड, औद्योगिक क्षेत्र साइट–1, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009। **श्रीमती अरुषि सिवाच (मालिक)** ए–41, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001। **श्रीमती अरुषि सिवाच**, फ्लैट संख्या टी2–101, पहली मंजिल, राइज ऑर्गेनिक होम्स, प्लॉट संख्या जीएच–01, जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	**प्रथम मंजिल पर फ्लैट संख्या टी–2/101, राइज ऑर्गेनिक होम्स, प्लॉट संख्या जीएच–01, जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल 99.78 वर्ग मीटर, सुश्री आरुषि सिवाच के नाम पर।** सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों, सुगमता, विशेषाधिकारों और उससे संबंधित सहायक वस्तुओं सहित, सभी फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, उस पर खड़ी संरचना सहित, साथ ही सामान्य मार्ग क्षेत्रों, सीढ़ियों और अन्य सामान्य सुविधाओं में आनुपातिक अधिकारों सहित, यदि कोई हो।	12.02.2026 / 30.05.2026	रुपये 6,70,64,498.43 (छह करोड़ सत्तर लाख चौंसठ हजार चार सौ अट्ठानवे रुपये मात्र) दिनांक 12.02.2026 तक, उक्त राशि पर संविदा दरों के अनुसार भविष्य का ब्याज, सभी आकस्मिक व्यय, लागत शुल्क आदि सहित।

दिनांक : 30.05.2026 स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालय: 10वीं मंज़िल, ऑफिस नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मृतक सह–ऋणकर्ता, जिनका नाम **स्वर्गीय अनिल त्यागी** है, ने अन्य ऋणकर्ताओं **कनिका त्यागी, (कानूनी उत्तराधिकारी – ए) कनिका त्यागी पत्नी अनिल त्यागी, बी) ओम प्रकाश त्यागी पिता अनिल त्यागी)** ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता") से 24,27,661/– रुपये (केवल चौबीस लाख सताईस हजार छह सौ इकसठ रुपये) की वित्तीय सहायता एक अचल के बदले में ली गई थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

संपत्ति का विवरण: संपत्ति भूमि क्षेत्र का एक आवासीय भूखंड है जो 46.12 वर्ग गज अर्थात 38.56 वर्ग मीटर, खासरा नंबर 360 से बाहर, गांव घुकाना, लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201003 में स्थित है सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट डिगर, पश्चिम: प्लॉट डिगर, उत्तर: प्लॉट डिगर, दक्षिण: सड़क 15 फीट। ("सुरक्षित संपत्ति")। इसके परिणामस्वरूप, पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, उक्त ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया है और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस बीच, उक्त सह ऋणकर्ता स्वर्गीय अनिल त्यागी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सुरक्षित ऋणदाता के संज्ञान में आई है और सुरक्षित ऋणदाता के कई प्रयासों के बावजूद, वह उक्त मृतक ऋणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सका है।

इसलिए वर्तमान सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, मृतक सह–ऋणकर्ता अर्थात स्वर्गीय अनिल त्यागी के कानूनी वारिसों से अनुरोध है कि वे इस प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक और सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पहचान के बारे में अधोहस्ताक्षरी को लिखित में सूचित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि मृतक ऋणकर्ता का कोई कानूनी वारिस नहीं है, जिसके बाद सुरक्षित ऋणदाता कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ–साथ सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 भी शामिल हैं और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू करेगा, जिसमें उक्त सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना और उसके बाद अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उसकी बिक्री को प्रभावी बनाना शामिल होगा। अधिकृत अधिकारी **राहुल सिंह और मोबाइल** +919999155682

तारीख : 03.06.2026 — ह/– अधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालय: 10वीं मंज़िल, ऑफिस नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मृतक सह–ऋणकर्ता, जिनका नाम **स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना** है, ने अन्य ऋणकर्ताओं **दीपिन खुराना, (कानूनी वारिस – दीपिन खुराना पुत्र स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना, राधिका खुराना पत्नी स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना)** ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("सुरक्षित ऋणदाता") से 19,75,000/– रुपये (केवल उन्नीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) की वित्तीय सहायता एक अचल के बदले में ली गई थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

संपत्ति का विवरण: घर संख्या ए–137, क्षेत्रफल लगभग 255 वर्ग फुट, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 के सभी अनिवार्य अंग ("सुरक्षित संपत्ति")। इसके परिणामस्वरूप, पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, उक्त ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया है और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस बीच, उक्त सह ऋणकर्ता स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सुरक्षित ऋणदाता के संज्ञान में आई है और सुरक्षित ऋणदाता के कई प्रयासों के बावजूद, वह उक्त मृतक ऋणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सका है।

इसलिए वर्तमान सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, मृतक सह–ऋणकर्ता अर्थात स्वर्गीय कृष्ण लाल खुराना के कानूनी वारिसों से अनुरोध है कि वे इस प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक और सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पहचान के बारे में अधोहस्ताक्षरी को लिखित में सूचित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि मृतक ऋणकर्ता का कोई कानूनी वारिस नहीं है, जिसके बाद सुरक्षित ऋणदाता कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ–साथ सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 भी शामिल हैं और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू करेगा, जिसमें उक्त सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेना और उसके बाद अपने बकाया राशि की वसूली के लिए उसकी बिक्री को प्रभावी बनाना शामिल होगा। अधिकृत अधिकारी **राहुल सिंह और मोबाइल** +919999155682

तारीख : 03.06.2026 — ह/– अधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Indian Overseas Bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

क्षेत्रीय कार्यालय–कानपुर | केन्द्रीय कार्यालय–चेन्नई

ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी-अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6)/9(1) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी

यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से **ऋणी(ओं), बंधककर्ता(ओं), ज़मानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों** को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का सांकेतिक कब्ज़ा लिया जा चुका है, के द्वारा **"जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है"** और **"जो कुछ भी है"**, के आधार पर उपरोक्त लिखित दिनांक को **ऋणी (ओं), बंधककर्ता(ओं), ज़मानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों** की सम्पत्ति की बिक्री कर उल्लिखित बकाया धनराशि व भविष्य के ब्याज एवं अन्य खर्चे जो कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है। आरक्षित मूल्य व ईएमडी धनराशि निम्नलिखित है। ई–नीलामी वेब पोर्टल **https://baanknet.com** के प्लेटफार्म पर सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	ऋणी/ज़मानतकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण/कब्जे का पकार	बकाया धनराशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी का दिनांक व समय	ई-नीलामी व सम्पत्ति के अधिक विवरण के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें
	शाखा–लाल बंगला (3233), 53 ए (बी), चंद्र नगर, लाल बंगला, कानपुर–208007, उत्तर प्रदेश फोन न. 8925953233, ईमेल–iob3232@iob.in						
1.	**1) श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री नरेंद्र कुमार,** प्लॉट संख्या 28, आराजी संख्या 95/1, ग्राम छतमरा, परगना, तहसील नरवल, जिला कानपुर नगर–208007 और 269/36, सदानंद नगर, आर.पी.एस. पैलेस के निकट, हरजिंदर नगर, कानपुर– 208007 (ऋणी/बंधककर्ता) **2) श्री नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम स्वरूप,** निवासी–269/36, सदानंद नगर, चकेरी, हरजिंदर नगर, कानपुर–208007 और प्लॉट संख्या 28, आराजी संख्या 95/1, ग्राम छतमरा, परगना, तहसील नरवल, जिला कानपुर नगर–208007(ज़मानतकर्ता)	भूमि एवं भवन स्थित निजी प्लॉट संख्या 28, आराजी संख्या 95/1, ग्राम छतमरा, परगना, तहसील–नरवल, जिला–कानपुर नगर–208007, **क्षेत्रफल 95.32 वर्ग मीटर, श्रीमती रेखा सिंह के नाम पर चौहद्दी–:उत्तर:** अन्य आराजी, **दक्षिण:** 25 फीट सड़क, **पूर्व:** प्लॉट संख्या 27, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या 28–ए **(कब्ज़े का प्रकार–सांकेतिक)**	रू. 23,11,063.68 दिनांक 20.05.2026 + भविष्य की लागत ब्याज संविदात्मक दर पर एवं अन्य खर्चे	रू. 20,82,400/– / रू. 2,08,240/– / रू. 10,000/–	दिनांक 05.07.2026 दोपहर 02:00 बजे तक	दिनांक 06.07.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक, (बिक्री सम्पन्न होने तक प्रत्येक 10 मिनट का स्वतः विस्तार)	
	खाता विवरण–इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, खाता का नाम–Sarfaesi Sale Parking Account, खाता सं.: 32330113035001, IFSC Code: IOBA0003233						

*Bank's dues have priority over the Statutory dues.

नियम व शर्तों के अधिक जानकारी के लिए कृपया सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** अथवा बैंक की वेबसाइट **http://www.iob.in** का अवलोकन करें। उपरोक्त सम्पत्ति निरीक्षण अथवा सम्पत्ति मे भाग लेने के लिए अथवा रूचि लेने वाले खरीददार कृपया उल्लिखित सम्बंधित शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

दिनांक: 01.06.2026 — स्थान: कानपुर — प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Kanar Vysya Bank

परिसंपत्ति वसूली शाखा, नं. 6, तृतीय तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110 005
दूरभाष : 011&35008283, ईमेल : arbdelhi@kvbmail.com

ई-नीलामी सूचना : ई-नीलामी 25-06-2026 को

सरफ़ॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत तथा निम्नवर्णित ऋणकर्ताओं/गारंटरों की ओर से अधोवर्णित शाखाओं के अंतर्गत करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को देय निम्नांकितानुसार प्रतिभूत ऋणों की वसूली हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिये गये निम्नलिखित ऋणकर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अनुसरण में।

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अचल संपत्तियों की ई–नीलामी करने का निर्णय ले लिया है अतः **"जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं", "वहाँ जो कुछ भी हैं"** तथा **"बिना संसाधन"** आधार पर निम्नलिखित परिसंपत्तियों के क्रयार्थ ई–निविदा के माध्यम से प्रस्ताव निमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम	ऋणप्रदायक शाखा	संपत्ति की अवस्थिति	संपत्ति की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रू. में)	धराज राशि (रू. में)	संपर्क हेतु व्यक्ति/ दूरभाष संख्या/ ईमेल
1.	मैसर्स एमआरजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	करनाल	कमर्शियल दुकान नंबर 94, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड ग्रेन मार्केट, निसिंग, तहसील निसिंग, जिला करनाल–132001	कमर्शियल दुकान	21,50,000.00	2,15,000.00	श्री घनश्याम तायड़े 9921598488 tayadear@kvbmail.com
2.			बंबा कॉलोनी में घर, अनाज मंडी के पीछे, निसिंग तहसील, निसिंग, करनाल (खेवट संख्या 174, खतौनी संख्या 235, खसरा संख्या 185/10/2 (6–0) के भाग 5/240 यानी 2.5 मरला के अंतर्गत सम्मिलित भूमि)	आवासीय भूमि एवं भवन	17,50,000.00	1,75,000.00	श्री राजेश ठक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvbmail.com

'दोनों संपत्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं तथा एकल बोलीदाता द्वारा एकल इकाई के रूप में खरीदी जाएंगी।*

ऋणकर्ताओं का विवरण : क्रम संख्या 1: करनाल शाखा: ऋणकर्ताओं के नाम– मैसर्स एमआरजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: जैन पब्लिक स्कूल के पास, मुख्य फुशगढ़ रोड, करनाल– 132 001, इसके अतिरिक्त यहाँ भी हो सकता है : एससीओ 156, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 7, करनाल– 132001, जिसके प्रतिनिधि इसके निदेशक हैं : (1) श्री पवन गोयल पुत्र श्याम लाल गोयल, निवासी : मकान नंबर 637, पहली मंजिल, सेक्टर–7, करनाल– 132001 तथा (2) श्री श्याम लाल गोयल पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास, निवासी : मकान नंबर 637, पहली मंजिल, सेक्टर–7, करनाल– 132001, तथा गारंटर श्री शीश पाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास, मकान नंबर 3613, अनाज मंडी, निसिंग, जिला करनाल। कुल बकाया देयराशि : तिथि 31.05.2026 के अनुसार **रु. 54,55,006.94 (रुपये चौवन लाख पचपन हजार छह और चौरानवे पैसे मात्र)** है, जिस पर आगे का ब्याज, लागत, अन्य प्रभार तथा खर्च देय होंगे।

बंधक परिसंपत्तियां : क्रम संख्या 1 कमर्शियल दुकान नंबर 94, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड ग्रेन डंतामज, निसिंग, तहसील निसिंग, जिला करनाल– 132001 तथा चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर : दुकान नंबर 94 का हिस्सा, दक्षिण : श्री लच्छी राम की दुकान, **पूर्व :** शीश पाल की संपत्ति, **पश्चिम :** सड़क
आरक्षित मूल्य: रु. 21,50,000.00 **ईएमडी:** रु. 2,15,000.00

क्रम संख्या 2 अनाज मंडी के पीछे मकान, निसिंग, तहसील निसिंग और जिला करनाल (खेवट संख्या 174, खतौनी संख्या 235, खसरा संख्या 185/10/2 (6–0) के भाग 5/240 यानी 2.5 मरला के अंतर्गत सम्मिलित भूमि) तथा चौहद्दी इस प्रकार है :– उत्तर : अन्यों का मकान, दक्षिण : श्री लच्छी राम का मकान, पूर्व : सड़क, पश्चिम : दुकान
आरक्षित मूल्य : रु. 17,50,000.00 **ईएमडी :** रु. 1,75,000.00

परिसंपत्ति का निरीक्षण	03–06–2026 से 23–06–2026 तक 11.00 से 05.00 बजे के मध्य
ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	**तिथि : 24–06–2026** **समय : 5 बजे तक**
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	ई–नीलामी, पोर्टल के माध्यम से, जब तक विक्रय संपन्न नहीं हो जाता तब तक, 25–06–2026 को 11.00 से 11.30 बजे के मध्य 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ होगी।
नोडल बैंक खाता नाम	दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, सेंट्रल ऑफिस इन फेवर ऑफ अबव अकाउंट्स **खाता संख्या:** 1101351000000973, **आईएफएससी कोड:** केवीबीएल0001101
संपर्क हेतु व्यक्ति तथा उनका दूरभाष नंबर	ऊपर वर्णित तथा अंकित अनुसार

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक की/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.kvb.bank.in/Property** पर नीलामी के अंतर्गत तथा हमारी ई–नीलामी सेवा प्रदात्री मैसर्स 4क्लोजर के वेब पोर्टल **www.bankauctions.in** पर भी उपलब्ध कराये गये लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

पूर्व ऋणभार– शून्य (बैंक की जानकारी में लाया गया)

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) तथा नियम 6(2) के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक सूचना

ऋणकर्ता/ओं तथा गारंटर/रों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान कर दें। ऐसा करने में विफल रहने पर, अनुसूचीगत संपत्ति की नीलामी/विक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया देयराशियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी।

दिनांक : 03–06–2026 — **कृते प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली — **दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, 75/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ (उ. प्र.) – 250004; फोन: 8477000776; ईमेल: sarmee@bankofbaroda.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार ऋणधारक/गारंटर/बंधककर्ता के लिये 15/30 दिन का सांविधिक विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना

"परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) और 9(1) के परंतुक देखें]"

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारक(कों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", और "वहां जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा ऋणधारक/बंधककर्ता/गारंटर/प्रतिभूत संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ऋणधारक/ गारंटर/बंधककर्ता का नाम और पता	अचल संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	ई-नीलामी की तारीख/समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक)	संपत्ति के निरीक्षण की तारीख और समय
1	**मैसर्स एमटी कॉन्ट्रैक्टर:** निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001; श्री तोहिद अहमद, पुत्र मोहम्मद रिजवान (प्रोप्राइटर), निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001, श्री मुश्ताक अहमद, पुत्र मोहम्मद सद्दीक (गारंटर) निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001, श्री रिजवान अहमद, पुत्र इस्लाम (गारंटर) निवासी: बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001	श्री मुश्ताक अहमद पुत्र मोहम्मद सद्दीक की आवासीय संपत्ति जो खसरा नं. 2713, मोहल्ला बड़ी तरफ, शेखपुरा कदीम, सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश में स्थित है, माप क्षेत्र 423.50 वर्ग गज। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री दिलशेर का घर, उत्तर: 12' चौड़ी सड़क, पश्चिम: 15' चौड़ी सड़क, दक्षिण: मुकर्रम का घर। अधिभार यदि कोई हो- अज्ञात	रु. 42,84,218/- (बयालीस लाख चौरासी हजार दो सौ अठारह) 12.03.2024 तक और आगे का ब्याज, दंडात्मक ब्याज, कानूनी शुल्क और अन्य विविध खर्च दिनांक 01.01.2024 से प्रभावी	22.06.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 25,13,000/- / रु. 2,51,300/- / रु. 10,000/-	रचनात्मक कब्जा	10.06.2026 दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://bankofbaroda.bank.in/e-auction/ और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें/विजिट करें। साथ ही, संभावित बोलीदाता मोबाइल नंबर- 8477000776 पर अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 01.06.2026, स्थान: मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा – उत्तर दिल्ली, डीपी ब्लॉक, पहली मंजिल, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका रचनागत/भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) से बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिए, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर **"जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ भी हैं"** आधार पर किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की अनुसूची

क्रं. सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणकर्ता/गारंटरों का नाम एवं पता, खाता	क) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / ख) मांग सूचना के अनुसार राशि / ग) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिग्रहण तिथि / घ) अधिग्रहण की प्रकृति (सांकेतिक/ भौतिक / रचनागत)	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (संपत्ति(यों) के बंधककर्तागण)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभारों के विवरण
1.	**एआरएमबी -उत्तरी दिल्ली (829200)** **मैसर्स एस काग्रो सेल्स (मालिक-श्री सरज खान)** **श्रीमती शमा बानो (गारंटर)** 1. मकान संख्या 2093, पहली मंजिल, नरेला मंडी, दिल्ली–110040 2. मकान संख्या 22, खसरा संख्या 70, गांव कुरेनी, नरेला, दिल्ली–110040	ए) 02.11.2024 बी) 110.23 लाख रुपये + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक का अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। सी) 24.02.2025 डी) भौतिक कब्जा	कुरेनी गांव की पुरानी लाल डोरा आबादी (1908–09) उत्तरी दिल्ली जिले में स्थित खसरा संख्या 70 के 130 वर्ग गज के भूखंड पर स्थित भूमि और भवन, जो शमा बानो पत्नी सरज खान, निवासी गली संख्या 7बी, स्वतंत्र नगर, नरेला, दिल्ली–110040 की संपत्ति है, विक्रय पंजीकरण संख्या 3232, दिनांक 21.06.2013, क्षेत्रफल 130.00 वर्ग गज।	ए) रु.74.22 लाख बी) रु.7.43 लाख सी) रु.0.25 लाख	23.06.2026 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	शून्य ज्ञात नहीं
2.	**एआरएमबी-उत्तरी दिल्ली (829200)** 1. सुश्री प्रिया पत्नी मनीष कुमार पता–1. बी–131 गली नं–7, शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली–42 2. संपत्ति नं–263, भूतल, पॉकेट–04, सेक्टर–22, रोहिणी–110086 3. संपत्ति नं. 147, प्रथम तल, पॉकेट–09, सेक्टर–22, रोहिणी–110086 4. मेसर्स ग्रेस इंडिया ट्रैवल (मालिक– सुश्री प्रिया पत्नी श्री मनीष कुमार) पता– बी–58/1, पुराना 58/1 भूतल, प्लॉट नं. बी–59, गली नं.–9, शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली–110042	ए) 01.03.2025 बी) 20.49 लाख रुपये + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक का अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय। सी) 07.05.2025 डी) भौतिक कब्जा	पॉकेट–4, सेक्टर–22 में स्थित मुक्त स्वामित्व वाली